न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/102/2019

प्रवेश तिथि 13.11.2019

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सन्तोष मीना निवासी–9/743, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली–110003		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 21.11.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का पशिीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 03.10.2019 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से विवादित आ.ख.नं. 58/2 रकबा 14 बिस्वा/0.17 हैक्टेयर वाके ग्राम–सैमला, तहसील–लक्ष्मणगढ (अलवर) के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा जिला कलक्टर (सतर्कता) अलवर को भेजे गये पत्रांकः 1781–83 दिनांकः 03.04.2019 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत 06 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. अपीलार्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 03.04.2019 पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना/किए गए विनिश्चय पत्र संख्या : आर.टी.आई./2019/6332 दिनांकः 22.10.19 के बिन्दु सं.2, 5 व 6 से असंतुष्ट होने पर प्रार्थना–पत्र दिनांकः 06.11.2019 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2018/919 दिनांकः 14.11.2019 के माध्यम तलब कर दिनांकः 21.11.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई व उल्लेखित किया कि वो अपील प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांकः 21.11.19 को न्यायालय में उपस्थित होवें।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से पत्रांकः अपील आर.टी.आई./2019/6738–39 दिनांकः 19.11.2019 माध्यम से नोटिस का जवाब प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर मनन किया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 03.10.2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्र संख्या : आर.टी.आई./2019/6332 दिनांकः 22.10.19 के माध्यम से कार्यालय में उपलब्ध संधारित रिकॉर्ड के अनुसार बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसकी प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील के साथ संलग्न कर प्रस्तुत भी की गई है।

8. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांकः 06.11.2019 में आक्षेपित बिन्दु सं. 2,5 व 6 में अतिक्रमण संबंधी कार्यवाहियों के लिए कार्य को करवाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से अनुरोध व्यक्त किया है एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकः 11.09.2017 के आलोक में कार्यवाही/आदेश जारी किए जाने की अपेक्षा लोक सूचना अधिकारी/प्रत्यर्थी विभाग से की है।

9. माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील प्रकरण संख्या 3169/2011 ब.उ. सुरेश चन्द्र कौशिक बनाम लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, प्रशासन, अलवर में दिनांकः 06.02.2012 को निर्णय पारित कर माना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति केवल अभिलेखीय सूचना प्राप्त कर सकता है, अपने कार्य को नहीं करवा सकता। माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपील प्रकरण उदय प्रभु वि. जहाजरानी महानिदेशलय, CIC/AT/A/2008/00087 Dated: 08-07-2008 में निर्णय पारित कर माना है कि "अपीलार्थी द्वारा **किसी संविधि, नियम या निर्देशों का विश्लेषण किये जाने हेतु** या विधि का निर्वचन किये जाने हेतु प्रत्यर्थी से राय–अभिमत की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अधिनियम केवल सूचना के प्रयोजन के लिए है, उसके अन्तर्गत न तो अनौपचारिक परामर्श किया जा सकता है और **न ही किसी विधि की व्याख्या की जा सकती है**, यह इस हेतु नहीं बनाया गया है।" एक अन्य अपील प्रकरण पी.ए.परमानाथम् वि. भारत संचार निगम लि., 1224/IC(A)/2007 Dated: 10-09-2007 में निर्णय पारित कर माना है कि " नागरिक को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है परन्तु यह अधिकार उसी रूप में प्रयुक्त किये जाने योग्य है, जैसा कि अधिनियम में उपबंध किया गया है। **व्यथा और समाधान के लिए सूचना का अधिकार प्रयुक्त किये जाने योग्य नहीं है।** इस हेतु प्रत्येक विभाग में सक्षम प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है और इस हेतु विधिवत् फोरम का गठन किया गया है। उसे ही उपचार दिये जाने की शक्तियाँ एवं अधिकारिता दी गई है। **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केवल विशिष्ट प्रयोजन के लिए है और यह सूचना तक सीमित है।**"

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

P.T.O.

10. इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 03.10.2019 के परिप्रेक्ष्य में पत्रांकः 6332 दिनांकः 22.10.19 के माध्यम से किए गए विनिश्चय में किसी प्रकार के फेरबदल की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के आलोक में उचित प्रतीत होता है।
11. उक्त आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रथम अपील खारिज कर अस्वीकार की जाती है।
12. आदेश की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे।
13. निर्णय घोषित।

COURT OF THE ADDL. COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)